न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	114/2022	
7.8.23	पत्रावली पेश हुई। वकलाय [illegible] ... नोटिंग ... [illegible] ... ही होक ... दिनांक 17.8.23 को पेश हो।	
17.08.2023	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। प्रकरण मे अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 12 की नोटिस तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक से करवाई जा चुकी है। उक्त तामील हुए सात माह से भी अधिक का समय हो चुका हैं। बावजूद रजिस्टर्ड डाक के भी उक्त अप्रार्थीगण मे से कोई हाजिर अदालत उपस्थित नहीं आये है। अतः अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 12 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रकरण में उप तहसीलदार अजीतगढ़ से चाही गई वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट उपतहसीलदार अजीतगढ़ के जरिये पत्रांक 438/एल0आर0/23 दिनांक 18.07.2023 के द्वारा प्राप्त हो चुकी है। जो शामिल पत्रावली है। प्रकरण में अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही हो जाने तथा उप तहसीलदार अजीतगढ से वस्तुस्थिति की जॉच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर वकील अप्रार्थीगण ने आज ही बहस सुनी जाने का निवेदन किया गया। जिस पर बहस वकील प्रार्थीगण [illegible] सुनी गई। प्रकरण में विस्तृत निर्णय [illegible] जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा – 152	

– लगातार –

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.09 12:22:19 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

तारीख हुक्म	बजरंग सिंह बनाम सरकार हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज प्रा०पत्र 152 CPC प्र.न. - 114/2022
	सी०पी०सी० स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेशित किया जाता है कि वे पारित निर्णयानुसार राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेस में आवश्यक तरमीम किया जाना सुनिश्चित करें। इस बाबत तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। 17/08/23 (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.09 12:22:19 IST
Reason: SelfAttested

1

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला – नीमकाथाना (राज.)

पीठासीन अधिकारी – दिलीप सिंह (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर :– 114 / 2022
जी0सी0एम0एस नम्बर :– 2022 / 0446
दायर दिनांक :– 14.12.2022
निर्णय दिनांक :– 17.08.2023

उनवान प्रकरण

1. बजरंग सिंह पुत्र रामसिंह उम्र 69 वर्ष
2. विमला कवर पत्नि पृथ्वी सिंह उम्र 60 वर्ष समस्त जाति राजपूत निवासी ग्राम सांवलपुरा शेखावतान तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान ।

:– प्रार्थीगण –:

बनाम्

1. भूमिधारी जरिये तहसीलदार, श्रीमाधोपुर
2. उपतहसीलदार अजीतगढ
3. गिरदावर , गिरदावर हल्का रायपुर जागीर
4. पटवारी पटवार हल्का पीथलपुर
5. तोपकंवर पत्नि श्रवणसिंह उम्र 60 वर्ष
6. प्रेमकंवर पत्नि सुरेन्द्रसिंह उम्र 75 वर्ष
7. मंगेज कंवर पत्नि बजरंगसिंह उम्र 55 वर्ष
8. सुमन कंवर पत्नि आसूसिंह उम्र 26 वर्ष
9. आशुसिंह पुत्र हणमान सिंह उम्र 39 वर्ष
10. श्रवणसिंह पुत्र रामसिंह उम्र 60 वर्ष समस्त जाति राजपूत निवासी ग्राम सांवलपुरा शेखावतान तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.09 12:22:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

17/08/23

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

11 बाबूलाल पुत्र मंगुताराम उम्र 55 वर्ष

12 जयराम पुत्र बाबुलाल उम्र 36 वर्ष समस्त जाति जाट निवासी ग्राम सांवलुपरा शेखावतान तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान ।

:– अप्रार्थीगण –:

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 152 सीपीसी

उपस्थितिः–
1. श्री विक्रम सिंह बांकावत, अभिभाषक –प्रार्थीगण की ओर से ।
2. तहसीलदार श्रीमाधोपुर अप्रार्थी सं. 01 की ओर से।

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र खिलाफ अप्रार्थीगण के इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 400 रकबा 0.86 है0 एवं खसरा नम्बर 408 रकबा 0.74 है0 अवस्थित तन ग्राम सांवलपुरा शेखावतान पटवार हल्का पीथलपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 के वर्तमान खसरा नम्बर 774/400 रकबा 0.8340 है0, खसरा नम्बर 775/400 रकबा 0.0260 है0, खसरा नम्बर 778/408 रकबा 0.72 है0, खसरा नम्बर 779/408 रकबा 0.0160 है0 गलत रूप से कायम हो चुके है। उक्त वर्णित खसरा नम्बर 400 के हिस्सा 1/6 भाग का प्रार्थी संख्या 1, हिस्सा 1/6 – 1/6 का अप्रार्थी संख्या 9 ता 10, हिस्सा 1/6 का अप्रार्थी संख्या 9, हिस्सा 1/4 – 1/4 भाग के अप्रार्थी संख्या 11 ता 12 रिकार्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है। इसी प्रकार भूमि खसरा नम्बर 408 के हिस्सा 11/37 की प्रार्थीया [illegible] हिस्सा [illegible]/[illegible] की अप्रार्थीया संख्या 5, हिस्सा 13/37 की अप्रार्थीया संख्या 6, हिस्सा 13/[illegible] –13/[illegible]1 की अप्रार्थीया संख्या 7 व 8 रिकोर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है। उक्त [illegible] भूमि मौके पर अर्सा कदीम से बंटी हुई है। जिसके अनुसार भूमि खसरा नम्बर 400 का दक्षिणी भाग भूमि खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.09 12:22:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

13/09/23

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

नम्बर 408 से सटाकर प्रार्थी संख्या 1 हिस्से में आया हुआ है। जिसके अनुसार उक्त भूमि खसरा नम्बर 400 के दक्षिणी भाग पर मौके पर प्रार्थी संख्या 1 काबिज काश्त है तथा इसी अनुसार भूमि खसरा नम्बर 408 का उत्तरी भाग भूमि खसरा नम्बर 400 से सटाकर प्रार्थीया संख्या 2 के हिस्से में आया हुआ है। जिसके अनुसार मौके पर भूमि खसरा नम्बर प्रार्थीया संख्या 2 काबिज काश्त है। उक्त वादग्रस्त भूमियां हमेशा से काश्त की भूमियां रही है। उक्त भूमि खसरा नम्बर 400 व 408 के मध्य से तथा भूमि खसरा नम्बर 400 की पूर्वी सींव के सहारे सहारे कभी भी किसी किस्म का कोई रास्ता नही रहा बल्कि भूमि खसरा नम्बर 400 की दक्षिणी सीमा पर कदीमी मिट्टी की सींव डोल अर्सा कदीम 50 वर्षो से लगी हुई तथा पेड पौधे उगे हुये। जिनके मध्य उगा बबुल का पेड अर्सा करीब 20 वर्ष से उगा हुआ है तथा भूमि खसरा नम्बर 400 व 408 के मध्य लगभग दो से तीन फुट चौडाई में दो से तीन फुट उंचाई की मिट्टी की डोल, पुराने पेढ पौधे, कुचे आदि वक्त बुजुर्गान से उगे हुए है। इसी प्रकार भूमि खसरा नम्बर 400 की पूर्वी–दक्षिणी कोने से चालु होकर पूर्वी सींव के सहारे सहारे करीब 4 फुट चौडाई व 4 फुट उंचाई की मिट्टी की भारी भरमक सींव डोल वक्त बुजुर्गान से लगी हुई। इस प्रकार उक्त भूमि खसरा नम्बर 400 व 408 में कभी कोई रास्ता प्रचलित नही रहा तथा उक्त भूमियों की सीमा पर मेडबंदी वक्त बुजुर्गान से की हुई है, जो कि आज भी मौके पर पर कायम है। प्रार्थीगण की उक्त भूमि में कभी कोई रास्ता नही रहा है तथा नही उक्त भूमि में से कोई भाग रास्ते के रूप में उपयोग में ली गई तथा नही कभी कोई प्रचलित रास्ता नही रहा है। इसके बावजुद अप्रार्थी संख्या 4 ने कतिपय लोगो को नाजायज एवं अवैध तरीके से फायदा पहुंचाने की बदनियति से उक्त लोगो के दबाव व प्रभाव में आकर उनके साथ साज करके प्रचलित रास्ता अभियान की आड की नितांत फर्जी, गलत व अवैध एकपक्षीय फर्द मौका पर्चा सीमाज्ञान दिनांक 12.10.2021 बनाते हुए तथाकथित रूप से उक्त नुमाईशी फर्द मौका [illegible] की आड में कतई गलत एवं अवैध रूप से प्रचलित रास्ता [illegible] अप्रार्थी संख्या 3 ने बिना मौका देखे हुए एवं बिना मौके पर कोई प्रचलित रास्ता हुए उक्त नुमाईशी रास्ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.09 12:22:19 IST
Reason: SelfAttested

17/08/21

प्रस्ताव मे अग्रिम कार्यवाही अग्रसर करते हुए उक्त तथाकथित मुनादी एवं एकपक्षीय रूप से तैयार किये गये रास्ता प्रस्ताव को रिकार्ड मे अमल किये जाने बाबत प्रस्तावित कर दिया। जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 ने भी उक्त मुनादी एवं एकपक्षीय रूप से गलत एवं अवैध रूप से तैयार किये गये प्रस्ताव को बिना मौका देखे उक्त तथाकथित प्रस्तावित रकबा रास्ते के रूप मे दर्ज किये जाने बाबत अभिशंषा न्यायालय मे प्रेषित कर दी। उक्त अभिशंषा के आधार पर न्यायालय ने मुकदमा विविध प्रार्थना पत्र प्रचलित रास्ता मुकदमा संख्या नील /2021 उनवानी तहसीलदार श्रीमाधोपुर बनाम आमजन वगैरह मे पारित निर्णय दिनांक 25.10.2021 के द्वारा भूमि खसरा नम्बर 400 मे से रकबा 0.026 है0, खसरा नम्बर 408 में से रकबा 0.016 है0, खसरा नम्बर 407 मे से रकबा 0.008 है0 कुल 0.50 है0 (लगभग रास्ते की चौडाई 20 फुट) भूमि मौके पर चालू रास्ते को अंकन राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व नक्शे में वर्णितानुसार गैर मुमकिन रास्ता के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये गये। अप्रार्थी संख्या 4 ने नितान्त मिथ्या एवं मनगढ़न्त तथ्यों पर बिना मौके पर कोई प्रचलित रास्ता हुए गलत अवैध एवं फर्जी एकपक्षीय रिपोर्ट प्रार्थीगण की भूमि में मौके पर प्रचलित रास्ता होकर रास्ता चालू होने बाबत पेश करके न्यायालय को मुगालता देते हुए उक्त एकपक्षीय रिपोर्ट के आधार पर उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड मे दर्ज किये जाने के आदेश गलत रूप से पारित किये गये है।

उक्त निर्णय दिनांक 25.10.2021 को प्रार्थीगण निम्न आधारो पर संशोधित करवाने के अधिकारी है:-

अ. यह कि प्रार्थीगण की भूमि में कभी भी कोई प्रचलित रास्ता न तो चालू था तथा नही कभी कोई रास्ता रहा है तथा नही मौके पर कोई रास्ता आज है। श्मशान भूमि मे जाने का रास्ता कटवाने के नाम पर अप्रार्थी संख्या 4 ने कतिपय लोगो को नाजायज एवं अवैध तरीके से फायदा पहुंचाने की साजिश के तहत उन लोगो के दबाव व प्रभाव मे आकर उनसे मिलकर उक्त भूमि में प्रचलित रास्ता होने की नितान्त मिथ्या एवं मनगढ़न्त रिपोर्ट तैयार की है जो कि मौका स्थिति [illegible] नितान्त खारिज किये जाने योग्य है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.09 12:22:19 IST
Reason: SelfAttested

Rathore 12/08/23

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

8. यह कि फर्द मौका पर्चा सीमाज्ञान दिनांक 12.10.2021 के तहत उक्त भूमि के खातेदारान जो प्रकरण मे प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 5 ता 12 है, ने उक्त भूमि का सीमाज्ञान करने का न तो कोई आवेदन पेश किया तथा नही उक्त भूमि मे रास्ता काटने बाबत कोई आवेदन पेश किया । फर्द मौका पर्चा सीमाज्ञान दिनांक 12.10.2021 मे अप्रार्थी संख्या 4 ने अंकित किया कि "आज दिनांक 12.10.2021 को तहसीलदार साहब के आदेश कमांक एल आर / 2021 / 3703 / दिनांक 08.10.2021 की पालना में ग्राम सा0 शेखावतान के भूमि खसरा नम्बर 400 / 0.86 है0, 408 / 0.74, 407 / 0.66 है0 के मोके पर बहमराह पटवारी हल्का पीथलपुर के मौके पर पहुंचा। मौके पर उपरोक्त खसरा नम्बरान के खातेदार मौके पर मौजुद मिले। गै.मु.मुकाम खसरा नम्बर 400 / 0.86 है0, 408 / 0.74, 407 / 0.66 है0 से उक्त खसरा नम्बरान का सीमाज्ञान किया गया। मौके पर उपस्थित खातेदारान द्वारा सहमति प्रदान होने पर सीमाज्ञान से संतुष्ट होने पर रास्ते का प्रस्ताव अलग से तैयार किया गया। मौका पर्चा तैयार कर पढ कर सुनाया गया। उपस्थित के हस्ताक्षर करवाये गये।"

उक्त रिपोर्ट में पटवारी हल्का ने मौके पर उपरोक्त खसरा नम्बरान के खातेदार मौके पर मौजुद मिलने का तथ्य अंकित किया है जबकि उक्त फर्द मौका पर्चा सीमाज्ञान मे किसी भी खातेदारान के हस्ताक्षर नही है, जो कि इस प्रकरण में प्रार्थीगण एव अप्रार्थी संख्या 5 ता 12 के रूप में पक्षकार है। बल्कि उक्त फर्द मौका पर्चा सीमाज्ञान में अप्रार्थी संख्या 4 ने उन लोगो के नितांत गलत एवं अवैध तरीके से हस्ताक्षर करवाये है, जिनको नाजायज फायदा पहुंचाने के लिये प्रार्थीगण की भूमि में रास्ता काटा जाना था। उक्त लोग श्मसान भूमि की आड में अपनी भूमि तक नाजायज एवं अवैध तरीके से प्रार्थीगण की भूमि में से रास्ता निकलवाना चाहते थे। फर्द मौका पर्चा सीमाज्ञान में किसी भी खातेदारान की सहमति [illegible] हस्ताक्षर नही है तथा नही प्रार्थीगण तथा अन्य खातेदारान को उक्त सीमा[illegible] के [illegible] अप्रार्थी संख्या 4 ने कोई नोटिस नही जारी किये तथा [illegible] तथा अप्रार्थीगण संख्या 5 ता 12 ने कोई सहमति उक्त भूमि का सीमा ज्ञान करने, [illegible] पर रास्ता होने या रास्ता प्रस्ताव

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.09 12:22:19 IST
Reason: SelfAttested

17/08/23

तैयार करने बाबत कभी भी नही दी। उक्त फर्द मौका पर्चा सीमाज्ञान अप्रार्थी संख्या 4 ने चुपचुप तरीके से बिना मौके पर गये अपने कार्यालय में बैठकर कतिपय लोगो के दबाव व प्रभाव मे आकर उनको नाजायज रूप से फायदा पहुचाने के लिए एकपक्षीय रूप से नुमाईशी तरीके से मौका स्थिति के विपरीत बनाई है। जिससे प्रार्थीगण एवं अन्य खातेदारान किसी भी सुरत कानूनन रूप से बाध्य एवं पाबंद नही है तथा प्रार्थीगण के खिलाफ उक्त मौका रिपोर्ट नुमाईशी होकर प्रारंभतः अकृत, शुन्य एवं निष्प्रभावी है ।

स. यह कि तथाकथित रूप से नुमाईशी, अवैध, फर्जी एवं गलत रूप से तैयार की गई अप्रार्थी सख्या 4 की एकपक्षीय फर्द मौका पर्चा सीमाज्ञान के आधार अप्रार्थी संख्या 4 ने भूमि खसरा नम्बर 400, 408 में क्रमशः 0.026 है0, 0.016 है0 रास्ता का प्रस्ताव गलत रूप से तैयार कर दिया गया जबकि प्रार्थीगण की भूमि में कभी भी कोई प्रचलित रास्ता न तो चालु था तथा नही कभी कोई रास्ता रहा है तथा नही मौके पर कोई रास्ता है। श्मसान भूमि में जाने का रास्ता कटवाने के नाम पर अप्रार्थी संख्या 4 ने कतिपय लोगो को नाजायज एवं अवैध तरीके से फायदा पहुंचाने की साजिश के तहत उन लोगो से मिलकर उक्त भूमि में प्रचलित रास्ता होने की नितांत मिथ्या एवं मनगढन्त रिपोर्ट तैयार की है। उक्त रास्ता प्रस्तावित करने बाबत पटवारी हल्का ने प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 5 ता 12 को कोई सूचना या नोटिस जारी नही किया ।

द. यह कि उक्त रिपोर्ट के आधार पर अप्रार्थी संख्या 3 ने बिना मौका देखे बिना उक्त रिपोर्ट के आधार पर रास्ता प्रस्तावित करने की रिपोर्ट तैयार कर दी। इसके आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थीगण एवं अन्य खातेदारान को नोटिस जारी किये बिना तथा पक्षकारान की सहमति हुये बिना उक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रस्तावित रकबा रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने बाबत अभिशंषा कर दी ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.09 12:22:19 IST
Reason: SelfAttested

य. यह कि उक्त भूमि खसरा नम्बर 400 व 40[illegible] मध्य [illegible] तथा भूमि खसरा नम्बर 400 की पूर्वी सींव के सहारे सहारे [illegible] भूमि खसरा नम्बर 400 की दक्षिणी सीमा पर कदीमी मिट्टी की सींव डोल [illegible] कदीम 50 वर्षो से लगी हुई तथा पेड पौधे उगे हुये। जिनके मध्य उगा बबुल का पेड असी करीब 20 वर्ष से उगा हुआ है

12/08/23

तथा भूमि खसरा नम्बर 400 व 408 के मध्य लगभग दो से तीन फुट चौड़ाई में दो से तीन फुट ऊंचाई की मिट्टी की डोल वक्त बुन्दोबस्त से लगी हुई। जिसके मौके पर रंगीन छायाचित्र है। इसी प्रकार भूमि खसरा नम्बर 400 के पूर्वी दक्षिणी कोने से चालू होकर पूर्वी सीव पर उसके सहारे सहारे करीब 4 फुट चौड़ाई व 4 फुट ऊंचाई की मिट्टी की भारी भरमक सीव डोल वक्त बुन्दोबस्त से लगी हुई। इस प्रकार उक्त भूमि खसरा नम्बर 400 व 408 मे कभी कोई रास्ता प्रचलित नही रहा तथा उक्त भूमि हमेशा से ही खेती के उपयोग मे ली जाती रही है। वास्तविकता यह है कि उक्त तथाकथित श्मशान भूमि मे जाने का कदीमी रास्ता भूमि खसरा नम्बर 407 व 410 की पश्चिमी सीव के सहारे सहारे शाहलपुरा शेखावतान–गुडला वाले सड़क मार्ग से चालू होकर उक्त श्मशान भूमि खसरा नम्बर 405 तक आता है। जो कि हमेशा से मौके पर चालू है तथा आज भी चालू है। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 4 ने उक्त भूमि खसरा नम्बर 407 व 410 से होता श्मशान भूमि मे जाने वाले मौके पर प्रचलित रास्ता की रिपोर्ट नही करके मौका स्थिति के नितांत विपरीत जाकर प्रार्थीगण की भूमि मे प्रचलित रास्ता होने की नितांत गलत, नुमाईशी एकपक्षीय अवैध रिपोर्ट पेश करके न्यायालय हाजा को मुगालता देते हुए उक्त कतिपय लोगो को नाजायज रूप से फायदा पहुंचाते हुए उक्त प्रार्थीगण की भूमि में प्रचलित रास्ता के आधार पर गैर मुमकीन रास्ता दर्ज करवाने के आक्षेपित आदेश पारित करवाये है। उक्त एकपक्षीय, नितांत गलत, अवैध, फर्जी व नुमाईशी रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीगण की भूमि मे रास्ता काटने का पारित आदेश दिनांक 25.10.2021 कानूनन प्रारंभतः शुन्य है। न्यायालय हाजा को मुगालता देकर पारित करवाये गये आदेश को प्रार्थीगण अपने हद तक संशोधित करवाने के विधिक अधिकारी है।

९. यह कि इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 4 द्वारा गलत, अवैध, नुमाईशी व फर्जी मौका रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय को मौका स्थिति की [illegible] पक्षकारान की सहमति बाबत गलत तथ्य अंकित करते [illegible] करवाये गये आदेश दिनांक 25.10.2021 को संशोधित किया जाना [illegible] आवश्यक है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.09 12:22:19 IST
Reason: SelfAttested

17/08/23

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

ब यह कि यहा उल्लेखनीय है कि यदि किसी काश्तकार को अपनी भूमि में रास्ता की आवश्यकता है तो वह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 अ के तहत डीएलसी दर की दुगुनी राशी अथवा जमीन के बदले जमीन देकर रास्ता ले सकता है परन्तु उक्त कतिपय लोगो ने अप्रार्थी संख्या 4 से साज करके श्मशान भूमि में जाने का रास्ता कटवाने की आड मे अपनी भूमि में जाने का रास्ता कायम करने के लिए प्रार्थीगण की भूमि में गलत रूप से प्रचलित रास्ता होने की रिपोर्ट करवाई है तथा धारा 251 अ के तहत दुगुनी राशी अथवा जमीन के बदले जमीन देने से बचाव करने के लिए अपनी भूमि में जाने के लिए रास्ता कायम करने के लिए गलत व अवैध तरीके से उक्त रिपोर्ट तैयार करवाते हुए उस पर हस्ताक्षर किये है ।

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 152 सीपीसी पेश कर प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विविध प्रार्थना पत्र प्रचलित रास्ता मुकदमा संख्या नील /2021 उनवानी तहसीलदार श्रीमाधोपुर बनाम आसुसिंह वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 25.10.2021 को संशोधित करते हुए प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 400 व 408 अवस्थित तन ग्रांम सांवलपुरा शेखावतान पटवार हल्का पीथलपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर की हद तक प्रचलित रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने बावत पारित त्रुटिपूर्ण आदेश को संशोधित करते हुए प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 400 व 408 तन ग्राम सांवलपुरा शेखावतान के राजस्व रिकार्ड जमाबंदी व नक्शा ट्रेस से गैर मुमकीन रास्ता हटवाया जावे तथा प्रार्थीगण की कब्जे काश्त व खातेदारी भूमि की आदेश दिनांक 25.10.2021 से पूर्व की राजस्व रिकार्ड की स्थिति बहाल करवाई जाने का निवेदन अपने प्रार्थना पत्र में किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.09 12:22:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

12/08/22

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस मय रजिस्टर्ड डाक के तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 12 की नोटिस तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक से करवाये जाने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 12 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में उपतहसीलदार अजीतगढ़ से वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट चाही गई। जिस पर उपतहसीलदार अजीतगढ़ ने पटवार हल्का पीथलपुर से रिपोर्ट ली जाकर मूल रिपोर्ट उपतहसीलदार अजीतगढ़ ने जरिये पत्रांक 438 / भू0अ0 / 23 दिनांक18.07.2023 के द्वारा तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाई गई। जिसमें पटवारी हल्का पीथलपुर ने अपनी जॉच रिपोर्ट में अवगत कराया है कि ग्राम सांवलपुरा शेखावतान् के भूमि खसरा नम्बर 775 / 400, 779 / 408, 777 / 407 में मौके पर रास्ता बन्द होने एंव खेत में बाजरे की फसल बोई हुई होने और मिट्टी का डोल सींव लगा हुआ होकर उस पर धासी उगी हुई होने बाबत अवगत कराते हुए दो फोटोग्राफ्स भी पेश किये गये है। अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने तथा उपतहसीलदार अजीतगढ़ से वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से वकील प्रार्थीगण ने अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 152 सीपीसी को स्वीकार किये जाने का निवेदन करते हुए प्रकरण में आज ही बहस सुनी जाने का निवेदन किया गया है।

Rathore
17/08/23

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.09 12:22:19 IST
Reason: SelfAttested

हमने वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थीगण अभिभाषक द्वारा की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो एव राजस्व रिकॉर्ड अतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074–2077, नजरी नक्शा ट्रेस, रिपोर्ट पटवारी हल्का पीथलपुर व अभिशंषा रिपोर्ट उपतहसीलदार अजीतगढ का अवलोकन किया गया। जिनमें पटवारी हल्का पीथलपुर की रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ग्राम सांवलपुरा शेखावतान् के भूमि खसरा नम्बर 775/400, 779/408 में मौके पर रास्ता बन्द होने एव खेत मे बाजरे की फसल बोई हुई होने और मिट्‌टी का डोल सींव लगा हुआ होकर उस पर घासी उगी हुई होना प्रकट होता है। जो रिपोर्ट के सलंग्न प्रस्तुत फोटोग्राफ्स से भी रास्ता बन्द होना प्रमाणित होता है। जबकि भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने प्रस्तावित रास्ते के भिजवाये गये प्रस्तावों में उक्त भूमि खसरा नम्बरान् 400, 407, 408 में सांवलपुरा शेखावतान् के मुख्य सड़क से शमशान तक जाना तथा मौके पर चालू होना अंकित किया है। जबकि पटवारी हल्का की रिपोर्ट से खसरा नम्बर 775/400 व 779/408 में वर्तमान में मौके पर रास्ता बन्द होने तथा उक्त खसरा नम्बर पर बाजरे की फसल बोई होकर मिट्‌टी का डोल लगा होना प्रकट होता है। जिससे उक्त रास्ता मौके पर बन्द होना स्पष्टतः प्रमाणित होता है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंत[illegible]152 सीपीसी का स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय [illegible] मुकदमा संख्या..... नील/2021 उनवानी तहसीलदार श्रीमाधोपुर बनाम [illegible] सिंह वगैरह में पारित निर्णय

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.09 12:22:19 IST
Reason: SelfAttested

17/08/23

दिनांक 25.10.2021 को संशोधित करते हुए प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 400 व 408 अवस्थित तन ग्राम सांवलपुरा शेखावतान पटवार हल्का पीथलपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर की हद तक प्रचलित रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने बाबत पारित आदेश को संशोधित किया जाकर प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 400 व 408 तन ग्राम सांवलपुरा शेखावतान के राजस्व रिकार्ड जमाबंदी व नक्शा ट्रेस से गैर मुमकीन रास्ता हटाया जाकर प्रार्थीगण की कब्जे काश्त व खातेदारी भूमि की आदेश दिनांक 25.10.2021 से पूर्व की राजस्व रिकार्ड की स्थिति बहाल किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 152 सीपीसी का स्वीकार किया जाता है तथा इस न्यायालय के विविध प्रार्थना पत्र प्रचलित रास्ता मुकदमा संख्या.....नील/2021 उनवानी तहसीलदार श्रीमाधोपुर बनाम आसुसिंह वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 25.10.2021 को संशोधित करते हुए प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 400 व 408 अवस्थित तन ग्रांम सांवलपुरा शेखावतान पटवार हल्का पीथलपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर की हद तक प्रचलित रास्ता को निरस्त किया जाता है तथा इस न्यायालय द्वारा पारित [illegible] संशोधित किया जाकर प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 400 व 408 तन ग्राम [illegible] के राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेस से गैर मुमकीन रास्ता हटाया जा[illegible] प्रार्थीगण की कब्जे काश्त व

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.09 12:22:19 IST
Reason: SelfAttested

12/08/25

(दिलीप [illegible])
उपखण्ड [illegible]
श्रीमाधोपुर ([illegible])

खातेदारी भूमि की इस न्यायालय के आदेश दिनांक 25.10.2021 से पूर्व की राजस्व रिकार्ड की स्थिति बहाल की जाती है तथा शेष निर्णय यथावत रखा जाता है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेशित किया जाता है कि वे पारित निर्णयानुसार राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेस में आवश्यक तरमीम किया जाना सुनिश्चित करें। इस बाबत तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

17/08/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

यह निर्णय आज दिनांक 17.08.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

17/08/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.09 12:22:19 IST
Reason: SelfAttested